

**उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)**

ना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
24/21	136 LR ACT	कडैथानोहर	दहसील
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
गिराजबाई	बनाम	राजस्थान सरकार	

वकील :- राजेश भागी एडवो. **आदेश पत्रक** वकील :-

**दिनांक** **कार्यवाही एवं आदेश** **विविध संदर्भ**

16<sup>07</sup>/<sub>21</sub>

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरुद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण गण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 06.09.2021 को पेश हो।

*M*  
उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा, जिला बारां (राज.)

8<sup>09</sup>/<sub>21</sub>

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। पत्रावली वाले इंतजार तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 12.10.21 को पेश हो।

*MR*

**प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021**

20<sup>10</sup>/<sub>21</sub>

पत्रावली प्रशासन गाँव के संग अभियान 2021 के अंतर्गत कडैथानोहर पर पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना धारा 136 LR ACT अन्तर्गत अप्रार्थीगण के पिता/जन्म माता रामप्रसाद एवं प्रताप के स्थान पर रामप्रताप खता पाठ ग्राम कडैथानोहर में दर्ज करने हेतु पेश किया जिसकी रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा इकटा से प्राप्त की गई। तहसीलदार इकटा द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि मजमे काम के जांच करने पर प्रार्थी के गाँव कडैथानोहर की जमा नैदी संख्या 2075 से 2078 के खता संख्या पाठ व पा९ में रामबलू एवं मनीषा की वलियत गलत दर्ज हो रही है। खता संख्या पा९ में रामबलू पुत्र मनीषा पुत्री गिराजबाई नेवा रामप्रसाद दर्ज रिपोर्ट है। दस्तावेज सत्यापन एवं मजमे काम जांच में पाया गया कि उक्त वलियत के वलियत का सही नाम रामप्रताप है उक्त दोनों नाम रामप्रसाद व

समप्रदाय दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। वर्तमान में  
जमानदी में समबबू एवं मनीषा नाकालिंग दर्ज हैं। इसके  
सम्बन्ध में कोर्ट पर दोनों ही कालिंग होनी जारी रखी  
है।

मुकामिल मरवाही इन्फो, मूठ, डी. निरीक्षक, को रिपोर्ट  
के आधार पर एवं तहसीलदार इन्फो की अतिरिक्त के  
आधार पर प्राप्त किये गये तब इन्फो के खता हों  
पाठ व पाठ में पिता का नाम <sup>प्रमाण</sup> राम प्रसाद के स्थान पर  
समप्रदाय दर्ज करने एवं नाकालिंग मनीषा व समबबू  
को कालिंग दर्ज करने के आदेश तहसीलदार इन्फो को  
दिया जाते हैं। आदेश प्रेषित हो जारी है। पत्रावली  
मैशाल शुभर होकर दारिखत दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा, जिला बारां (राज०)

# प्रशासन गाँव के संग अभियान-2021"

पंचायतालय उपखण्ड अधिकारी

छबड़ा जिला - बारा

## -: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी...<sup>हस्ता</sup>...<sup>कड्डेगोहर</sup>...<sup>कड्डेगोहर</sup>...<sup>मू.अ.नि.</sup>...<sup>मिजवायें</sup>...<sup>कड्डेगोहर</sup>...<sup>कड्डेगोहर</sup> की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बारा/नायब तहसीलदार बारा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम...<sup>कड्डेगोहर</sup>...<sup>कड्डेगोहर</sup>...<sup>कड्डेगोहर</sup>...<sup>कड्डेगोहर</sup> तहसील बारा जिला बारा की जमाबन्दी सम्वत्...<sup>2075-2078</sup>...<sup>कड्डेगोहर</sup>...<sup>कड्डेगोहर</sup>...<sup>कड्डेगोहर</sup>...<sup>कड्डेगोहर</sup> में खाता संख्या...<sup>418</sup>...<sup>419</sup>...<sup>कड्डेगोहर</sup>...<sup>कड्डेगोहर</sup> में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	कड्डेगोहर	418 - 419 -	शाहनू ना.ना पुत्र प्रताप मनीषा ना.ना पुत्री प्रताप गिरिज नाई देवा प्रताप शाहनू, मनीषा ना.ना पुत्र-पुत्री - शाहप्रसाद गिरिजनाई देवा शाहप्रसाद	शाहनू पुत्र शाहप्रताप 3/4 प्रताप मनीषा पुत्री शाहप्रताप 3/4 प्रताप गिरिज नाई देवा शाहप्रताप 3/4 प्रताप शाहनू, मनीषा पुत्र-पुत्री शाहप्रताप 3/4 शाहप्रसाद गिरिजनाई देवा शाहप्रताप 3/4 शाहप्रसाद



*(मनीषा मिश्रा)*  
उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा, जिला छबड़ा अधिकारी

क्रमांक/रीडर/लोक अदालत/20.21/...<sup>कड्डेगोहर</sup> / 107

दिनांक...27/10/21.....

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार...<sup>हस्ता</sup>...को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री...<sup>शाहनू पुत्र शाहप्रताप कड्डेगोहर</sup>...को सूचनायें।
3. रक्षित पत्रावली।

*(मनीषा मिश्रा)*  
उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा, जिला छबड़ा अधिकारी